شیعہ مرکزی وقف بورڈ – اترپردیش

فرد احکام

आदेश

अवकाफ रामपुर सं0–I–1233 वक्फ बहू बेगम, वक्फ सं0–I–1234 वक्फ नवाब मो0 सईद खॉ, वक्फ सं0–I–1235 वक्फ बाग मेंहदी अली खान, वक्फ सं0 I–1236 वक्फ कर्बला शरीफ, वक्फ सं0 I–1237 वक्फ मुकाबिर मोमिनीन, वक्फ सं0–1238 वक्फ मर्दाना किला ,वक्फ सं0–I–1546 वक्फ हुसैनी सरांय, रामपुर बोर्ड में नियमानुसार पंजीकृत है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपने आदेश दिनांक 13–9–2013 के अन्तर्गत श्री आले हसन, क्षेत्राधिकारी, नगर रामपुर को प्रशासक नियुक्त किया गया था, परन्तु बोर्ड द्वारा दिनांक 07–12–2014 को औचक निरीक्षण किया गया, चूँकि बोर्ड को यह सूचना शिया समुदाय के लोगों द्वारा मुख्य रूप से दी गयी थी कि इमामबाड़ा कोठी खासबाग में रखी बहुमूल्य पेन्टिंग गुप–चुप तरीके से अवकाफ के पूर्व मुतवल्ली श्री काजिम अली खां बेचने जा रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा अवकाफ से हटाये जाने के बावजूद मुकम्मल चार्ज प्रशासक को हस्तांतरित नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा दिनांक 07–12–2014 को अपने निरीक्षण के दौरान यह आभास हुआ कि उक्त बहुमूल्य पेंन्टिंग जोकि इमामबाड़ा खासबाग के कमरे में दीवारों पर लगी हैं जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी निरीक्षण के दौरान करायी जा चुकी हैं, किसी भी दशा में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इमामबाड़ा पूर्व मुतवल्ली के कब्जे में है जिसका चार्ज उनके द्वारा हस्तांतरित नहीं किया गया है और उनके ऊपर पूर्व में भी अवकाफ में खुर्द–बुर्द किये जाने के कई आरोप जांच में प्रमाणित हो चुकी हैं और अन्य पर जांच चल रही है तथा कुछ प्रकरण में जांच कराया जाना अवकाफ हित में अति–आवश्यक है। अतः अवकाफ की बहुमूल्य पेन्टिंग जोकि वक्फ इमामबाड़ा की सम्पत्ति होने के कारण वक्फ सम्पत्ति है, की सुरक्षा की दृष्टि से यह अति–आवश्यक है कि इमामबाड़ा खासबाग स्थितः उस कमरे को जहां बहुमूल्य पेन्टिंग्स दीवारो पर लगी हुई हैं, को बोर्ड के अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया जाये,